

प्रधानन्द  
भा.प्र.से.

विभाजन पदाधिकारी एवं  
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग



पंजी क्रमांक 3692/339/23/18-1  
उच्च शिक्षा विभाग मुंबई  
दिनांक 7587731888 12/8/22 2022  
0771-2236008

मोबाईल नं. :  
कार्यालय ई-मेल : ceornipur.eg@gov.in  
पता : कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
इन्द्रायती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर,  
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)  
पिनकोड : 492001  
डी.ओ. क्रमांक : वि.वि.भा.पु.न.-23/2693  
रायपुर, दिनांक : 05/08/2022

विषय :- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वेबसाइट पर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट "वोटर पोर्टल" <https://voterportal.eci.gov.in/> की लिंक की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक।

JS(HE) / VS(HE)  
08 AUG 2022

Dear Khuvsnob,

वि.वि.भा.पु.न.  
12-8-22

विदित होंगे कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी जड़ों को मजबूत करने का कार्य भारतीय मतदाता अपने मताधिकार का गुणात्मक प्रयोग करके करता है। युवाओं एवं भावी मतदाताओं का निर्वाचकीय प्रक्रिया के प्रति अरुचि एवं मतदान प्रक्रिया से नहीं जुड़ने की उनकी प्रवृत्ति मुख्य चिंता का विषय है। भारत निर्वाचन आयोग युवाओं एवं भावी मतदाताओं के मध्य व्याप्त उपरोक्त अरुचिपूर्ण व्यवहार एवं प्रवृत्ति को दूर कर उन्हें मतदान प्रक्रिया से जोड़ने की मंशा रखता है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार युवा एवं नये मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीयन कराये जाने हेतु विधि विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर पंजीयन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए पूर्व निर्धारित अहर्ता तिथि 01 जनवरी के साथ अन्य अहर्ता तिथियों यथा-01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर भी जोड़कर वर्ष में 04 मौके उपलब्ध कराये हैं।

आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का मतदाता सूची में 100% पंजीकरण हेतु महाविद्यालयों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले (17+) छात्र-छात्राएं भी भावी मतदाता के रूप में 18 वर्ष की आयु की प्राप्ति की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा विभाग  
पत्र संख्या क्रमांक 3648  
दिनांक 08-8-2022